न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री निकया गोहाएन, आईए0एस0

मि0नं0 03 /अपील (आर0टी0आई) / 2020

एन.के.आजाद एडवोकेट नि0 सूर्य नगर डकनिया जिला कोटा मोबाईल न08112253352 (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार खानपुर (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 20.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खानपुर को दिनांक 13.12.2019 को आवेदन पत्र भिजवाया जाकर निम्न सूचना चाही गई थी–ग्राम सूमर में रहने वाले (1) रामनिवास राठी,मूलचन्द राठी,अमृतलाल राठी पिसरान स्व0 किशनलाल राठी जाति राठी के नाम से खेती की जमीन जो शासकीय रेकार्ड में दर्ज है। उक्त रेकार्ड (खसरे की नकल) की सत्यापित प्रति। (2) स्व0 रामनिवास राठी पुत्र स्व0 किशनलाल राठी के नाम ग्राम सूमर में कितने मकान है। उक्त मकानों की जानकारी देवें।(3) राममूर्ति बाई बेवा रामनिवास राठी को मिलने वाली पेन्शन की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खानपुर को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 20.10.2020 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी तहसीलदार खानपुर की और से पत्रांकः 662–63/रीडर/20 दिनांक 13.10.20 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर आवेदन अनुसार कार्यालय के पत्रांक एस.पी.–1/एल.आर./20 दिनांक 17.01.2020 को प्रेषित कर दी गई थी। निर्देशानुसार पुनः अपीलान्ट के कार्यालय के पत्रांक 4136/ भू.अ./ 2020 दिनांक 20.10.2020 से चाही गई सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकी है।

अपीलार्थी अनुपस्थित है। तहसीलदार खानपुर या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार खानपुर द्वारा पत्रांक 662–63/रीडर/20 दिनांक 13.10.20 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्रांक एस.पी.–1/एल.आर./20 दिनांक 17.01.2020 को प्रेषित कर दी गई थी। निर्देशानुसार पुनः अपीलान्ट के कार्यालय के पत्रांक 4136/ भू.अ./ 2020 दिनांक 20.10.2020 से चाही गई सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकी है। अपने पत्र के साथ पत्रांक 4136 की प्रति भी संलग्न की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई है उसमें से बिन्दु सख्या 01 की आंशिक सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है व आंशिक सूचना प्रतिलिपी शुल्क जमा करवाने पर पर उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाना भी स्पष्ट है इसी तरह बिन्दु संख्या 2 व 3 कार्यालय में सन्धारित नही होने बाबत सूचना अपीलार्थी को तत् समय तहसीलदार द्वारा दी जा चुकी है। यंहा हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का कार्य सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना नही है, लोक सूचना अधिकारी केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। इस प्रकार अपीलार्थी बिन्दु संख्या 01 में वांछित सत्यापित प्रतिलिपियां निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलान्ट दौराने सुनवाई आज न्यायालय हाजा में भी उपस्थित नही हुए है इससे यह भी स्पष्ट कि अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः पत्रावली की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(निकया गोहाएन)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

कमांकः 204-05/रीडर/20

दिनांक 20.10.20

प्रतिलिपीः–

01.लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार खानपुर
02. एन.के.आजाद एडवोकेट नि0 सूर्य नगर डकनिया जिला कोटा मोबाईल न08112253352

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

जिला कलेक्टर
झालावाड़